न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/87 दायरा दिनांक : 08.06.2022

उनवान

1. महेश चन्द पुत्र ज्ञानचंद, जाति महाजन
2. दिनेश चन्द पुत्र ज्ञानचंद, जाति महाजन
3. मनोज चन्द पुत्र ज्ञानचंद, जाति महाजन
4. राकेश चन्द पुत्र ज्ञानचंद, जाति महाजन
   जाति महाजन, निवासी ग्राम कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां राजस्थान .... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां
2. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ, जाति मेहर, निवासी दौलतपुरा, तहसील व जिला बारां
3. प्रभूलाल पुत्र मांगीलाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां राजस्थान
4. माफी मन्दिर चाकरी खेलभराई समस्त ग्रामवासियान निवासी दौलतपुरा, ग्राम पंचायत सचिव, इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट की ओर से
पैरोकार सरकार उपस्थित, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 18.02.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – ए 026/2013/दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट्स ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि वाके माल दौलतपुरा, तहसील बारां जिला बारां में पूर्व आराजी पुराना खाता संख्या 67 की खसरा नम्बर 171 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा किस्म माल दोयम लगानी 36.00 रूपया आराजीयात मुताबिक राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2035–2038 में अवस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2022 से वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2022 न्याय, कानून एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटगण/वादीगण द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था कि वाके माल दौलतपुरा तहसील बारां जिला बारां में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 171 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा मुताबिक राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2035–2038 में अवस्थित थी जो वादीगण के नाना मदनलाल पुत्र भैरूलाल, जाति महाजन, निवासी कलमण्डा के खातेदारी में दर्ज थी। रेस्पोडेंट कम 1/प्रतिवादी कम 1 द्वारा सम्वत 2038–2057 में नवीन बन्दोबस्त करवाने पर हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 3.32 हेक्टर कायम किया गया साधारण गुणन के अनुसार 22 बीघा 10 बिस्वा का क्षेत्रफल हाल राजस्व रिकार्ड में 3.62 हेक्टर होना चाहिए था इसके विपरीत रकबा मात्र 3.32 हेक्टर दर्ज किया गया जिससे अपीलांटगण/वादीगण के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

साम्पत्तिक अधिकारों को खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो गई, चूंकि वादीगण के नाना मदनलाल पुत्र भैरूलाल, जाति महाजन ने अपने खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात की वसीयत वादीगण/अपीलांट के पक्ष में करवायी थी तथा अपीलांटगण के नाना जी का देहान्त होने के पश्चात उक्त आराजियात इंतकाल क्रमांक 421 दिनांक 05.12.2008 से अपीलांटगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई तबसे वादीगण/अपीलांटगण उक्त सम्पूर्ण आराजियात पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं तथा अभी भी सम्पूर्ण आराजियात 22 बीघा 10 बिस्वा (3.32 हेक्टर) वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील बारां पर काबिज काश्त है तथा अपीलांटगण/वादीगण राजस्व रिकार्ड में यथापूर्व स्थिति अनुसार भूमि का रकबा सही दर्ज करा पा सकने के अधिकारी एवं नालिशी है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज व जवाब को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि पत्रावली में उपलब्ध पटवार मण्डल इकलेरा की दिनांक 08.08.2013 व कार्यालय तहसीलदार भू अभिलेख द्वारा दी गई रिपोर्ट दिनांक 18.12.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकन किया गया था कि अपीलांटगण/वादीगण की आराजी रेस्पोडेंट कम/प्रतिवादी कम 2 ता 4 की आराजी में बढी हुई है तथा उक्त रकबों की पूर्ति की जा सकती है उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को दर किनार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट कम 2 ता 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही की तथा उनके द्वारा कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी ओर से रेस्पोडेंट कम 2 का जाति से मेहर होना तथा रेस्पोडेंट कम 4 नाबालिग माफी मन्दिर होना मानते हुए तथा पर्याप्त दस्तावेज रिकार्ड पर पेश नहीं करने का कारण बताते हुए अपीलांट का वाद खारिज फरमा दिया गया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय अभिवचनों से बाहर जाकर निर्णय पारित नहीं कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाटगण द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति तथा नाबालिग माफी मन्दिर की भूमि को किसी तरीके हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा था वरन अपीलांटगण द्वारा रिकार्ड में अपने कम हुए रकबे की पूर्ति हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो स्वयं रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा रकबे की कमी होना तथा रेस्पोडेंट कम 2 ता 4 से उक्त कमी की पूर्ति होना उल्लेखित करने के बावजूद भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत होने तथा प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2022 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि दस्तावेजों का ठीक प्रकार से अवलोकन कर विधि सम्मत निर्णय पारित फरमावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि वादी अपीलांट ने खसरा नम्बर साबिक 171 रकबा 22.10 बीघा सैटलमेंट ने दर्ज हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 3.32 हेक्टर जबकि 3.62 हेक्टर दर्ज होना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अनुसूचित जाति व मन्दिर की आराजी मानकर नहीं बढना माना जो गलत है मैंने वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं किया है केवल रकबा कम हुआ है उसे पूरा करने हेतु वाद पेश किया है। मिलान क्षेत्रफल में रकबा नहीं है जबकि जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 में रकबा दर्ज है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि दस्तावेजों का ठीक प्रकार से अवलोकन कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

विद्वान पैरोकार ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, व धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि वाके माल दोलतपुरा, तहसील बारां, जिला बारां में आराजी पुराना खाता संख्या 67 की खसरा नंबर 171 की रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा किस्म माल दोयम लगानी 36.00 रू. आराजीयात मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2035–2038 में अवस्थित रहा है, जो वादपत्र की विषयवस्तु है तथा इसे आगे विवादित भूमि कहा गया है, जो वादीगण के नाना मदन लाल पुत्र श्री भैरूलाल, कौम महाजन, साकिन कलमण्डा के खातेदारी में दर्ज थी। प्रतिवादी द्वारा सम्वत 2038 से 2057 के लिए नवीन बंदोबस्त करवाने पर विवादित भूमि के वर्तमान खाता संख्या 118 की खसरा नंबर 287 की रकबा 3.32 हेक्टेयर किस्म माल प्रथम लगानी 49.80 रूपये कायम किया गया है। साधारण गुणा के अनुसार भी 22 बीघा 10 बिस्वा का क्षेत्रफल नवीन राजस्व रिकार्ड में 3.62 हेक्टेयर होना चाहिए था। इसके विपरीत प्रतिवादी ने आराजी का रकबा मात्र 3.32 हेक्टेयर ही कायम किया है। इस प्रकार वादीगण के नाना मदनलाल की भूमि का रकबा 0.30 हेक्टेयर कम दर्ज किया गया है, जिससे वादीगण के सांपत्तिक अधिकार को खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो गई है, क्योंकि वादीगण के नाना श्री मदनलाल पुत्र श्री भैरूलाल, जाति महाजन, निवासी कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां ने अपने खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात की वसीयत वादीगण के नाम करवायी थी तथा वादीगण के नाना जी श्री मदनलाल जी की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त आराजीयात का इन्तकाल नंबर 421 दिनांक 05.12.2008 से वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। वादीगण अपने नाना जो की मृत्यु के पूर्व से ही उक्त सम्पूर्ण आराजीयात पर वादीगण ही काबिज काश्त करते चले आ रहे थे तथा अभी भी वादीगण ही सम्पूर्ण आराजीयात 22 बीघा 10 बिस्वा (3.62 हेक्टेयर) वाके ग्राम दोलतपुरा, तहसील बारां पर काबिज काश्त है।

प्रतिवादी का विधिक दायित्व था कि वह वादीगण भूमि का रकबा नवीन राजस्व रिकार्ड में सही तौर पर यथापूर्व स्थिति अनुसार दर्ज करता। मौके पर वादीगण 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर ही काबिज है। प्रतिवादी ने बंदोबस्त करते समय गलती/भूल से रकबा कम किया, जो अक्षम्य है। वादीगण की भूमि का रकबा कम हो जाने से वादीगण अपने को प्राप्त खातेदारी अधिकारों से वंचित हो गये हैं। वादीगण राजस्व रिकार्ड में यथापूर्व स्थिति अनुसार भूमि का रकबा सही दर्ज करा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है। इस बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणार्थ पेश कर वादी द्वारा पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे सुनवाई करते हुये दिनांक 12.05.2022 को यह निर्णय पारित किया कि रकबे की कमी पूर्ति जिन खसरा नम्बरान् से चाही जा रही है उनमें प्रतिवादी क्रम 2 अनुसूचित जाति का है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को सामान्य वर्ग के व्यक्ति को खातेदार कृषक घोषित नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी क्रम 3 नाबालिग माफी मन्दिर है। नाबालिग माफी मंदिर की भूमि को भी वादी के खाते में दर्ज नहीं की जा सकती। वादी ने अपना मौके पर रकबा पूरा होना बताया है। वादी द्वारा सैटलमेन्ट के बाद वर्ष 2013 में दावा पेश किया है। इतने वर्ष से वादी को अपनी भूमि कम होने का पता नहीं चला वादी द्वारा मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–2057 पेश किया है जिसमें खसरा नम्बर 171 का रकबा दर्ज नहीं है। इससे यह साबित नहीं हो सकता कि साबिक खसरा नंम्बर 171 का रकबा कितना था। वादी द्वारा पर्याप्त दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे वादी की भूमि की कमी का पता लगाया जा सके वादी पर्याप्त रेकार्ड पेश करने में विफल रहे हैं। वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण वाद खारिज कर दिया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा वर्तमान खसरा नम्बर 287 रकबा 3.32 में गत खसरा नम्बर 171 रकबा 22.10 में रकबे में कमी वर्तमान गणना अनुसार 0.30 हेक्टेयर बताते हुये

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उसकी पूर्ति हाल खसरा नम्बर 277 रकबा 1.79 हेक्टेयर खातेदार बाबूलाल पिसरान जगन्नाथ मेहर खसरा नम्बर 278 रकबा 0.05 खसरा नम्बर 285 रकबा 0.96 कुल किता 2 रकबा 1.01 हेक्टर खातेदार माफी मन्दिर चाकरी खेल भराई समस्त ग्राम पंचायत व खसरा नम्बर 322 रकबा 2.42 हेक्टर खातेदार प्रभूलाल पुत्र मांगीलाल, जाति धाकड, साकिन कलमंडा से करने की प्रार्थना की गयी है। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर के मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे वर्तमान व साबिक खसरा नम्बर की तुलना की जा सके। अपीलार्थी द्वारा हाल नक्शे की भी नकल प्रस्तुत नहीं की है। खसरा नम्बर 277 का खातेदार अनुसूचित जाति वर्ग का है जबकि अपीलार्थी सामान्य वर्ग का है। अतः अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि सामान्य वर्ग के खातेदार के नहीं लगाई जा सकती। खसरा नम्बर 278 व 285 माफी मन्दिर की भूमि है। माफी मन्दिर की भूमि को शाश्वत नाबालिग माना गया है। उक्त भूमि मे से रकबे की पूर्ति नहीं की जा सकती। पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038–2057 में साबिक खसरा नम्बर 171 का रकबा दर्ज नही है। इससे यह साबित नही होता की साबिक खसरा नम्बर कितना था। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बहाल रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत लिति बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबंदी सम्वत 2035–2038 के अनुसार खसरा नम्बर 171 की रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा आराजी वादीगण के नाना मदनलाल पुत्र श्री भैरूलाल कौम महाजन, साकिन कलमण्डा के खातेदारी में दर्ज थी। प्रतिवादी द्वारा सम्वत 2038 से 2057 के लिए नवीन बन्दोबस्त करने पर विवादित भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 287 रकबा 3.32 हेक्टर कायम किये हैं। 22 बीघा 10 बिस्वा का क्षेत्रफल 3.62 हेक्टर होना चाहिए था। वादीगण के नाना श्री मदनलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति महाजन ने अपने खाते की उक्त वर्णित आराजीयात की वसीयत वादीगण के नाम करवायी थी तथा वादीगण के नाना जी की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त आराजीयात का इंतकाल नम्बर 421 दिनांक 05.12.2008 से वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। वादीगण अपने नाना जी की मृत्यु के पूर्व से ही उक्त सम्पूर्ण आराजीयात पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। मौके पर वादीगण 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर ही काबिज है। अतः वादीगण राजस्व रिकार्ड में यथापूर्व स्थिति अनुसार भूमि का रकबा सही दर्ज करा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई करते हुए दिनांक 12.05.2022 को यह निर्णय पारित किया कि तहसीलदार बारां द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि साबिक खसरा नम्बर 969 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा के मुकाबले भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 3.32 हेक्टर दर्ज कर साधारणतया गणना के अनुसार 3.60 हेक्टर दर्ज होना चाहिये। अतः रकबे में 0.28 हेक्टर की कमी दर्ज होना बताया है। वादी जाति से महाजन है तथा प्रतिवादी कम 2 जाति से मेहर। प्रतिवादी कम 4 नाबालिक माफी मन्दिर है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सामान्य जाति के व्यक्ति को खातेदार कृषक घोषित नहीं किया जा सकता है तथा नाबालिक माफी मन्दिर की भूमि को भी वादी के खाते में दर्ज नहीं की जा सकती है। वादी ने मौके पर रकबा पूरा होना बताया है परन्तु खाते में कम होना बताया गया है। वादी द्वारा सैटलमेंट के बाद वर्ष 2013 में दावा पेश किया है। इतने वर्ष से वादी को अपनी भूमि कम होने का पता नहीं चला। वादी द्वारा मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–2057 पेश किया जिसमें साबिक खसरा नम्बर 171 जिसका रकबा दर्ज नहीं है तथा खसरा नम्बर 171

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

का हाल खसरा नम्बर 278 रकबा 3.32 हेक्टर होना दर्ज है। इससे यह साबित नहीं हो सकता कि साबिक खसरा नम्बर का रकबा कितना था। वादी द्वारा पर्याप्त दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे वादी की भूमि का कमी होने का पता लगाया जा सके। वादी पर्याप्त रिकार्ड पेश करने में विफल रहे हैं। वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नकल जमाबंदी सम्वत 2035–2038 के अनुसार खसरा नम्बर 171 की 22.10 बीघा विवादित आराजी मदनलाल वल्द भैरूलाल, कौम महाजन के खाते दर्ज रिकार्ड थी। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सैटलमेंट सम्वत 2038 – 2057 की जमाबंदी पेश करना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी सैटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2038–2057 के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलांट के रकबे में कमी भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सैटलमेंट की है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2038–2057 से यह स्पष्ट होता है कि साबिक खसरा नम्बर 171 का हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 3.32 हेक्टर कायम किया गया परन्तु खसरा नम्बर 171 का क्षेत्रफल अंकित नहीं होने के कारण इससे यह साबित नहीं होता कि साबिक खसरा नम्बर 171 का रकबा कितना था। वादी अपीलांट द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार, बारां द्वारा दिनांक 18.12.2013 को प्रस्तुत रिपोर्ट सलंग्न है। प्रस्तुत रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा यह अंकित किया है कि आस पास के खसरा नम्बरान का नये व पुराने का मिलान करने पर खसरा नम्बर 277 रकबा 1.79 में से 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 278 रकबा 0.05 में से 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 322 रकबा 2.42 हेक्टर में से 0.06 हेक्टर कुल 0.22 हेक्टर भूमि कम करके प्रार्थी के खसरा नम्बर 287 रकबा 3.32 हेक्टर में बढाई जा सकती है। मौके पर प्रार्थी पूर्व से ही काबिज है। इसके अलावा अन्य रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नहीं है परन्तु तहसीलदार द्वारा वादी अपीलांट की आराजी की कमी पूर्ति हेतु अपनी रिपोर्ट में अंकित उक्त प्रस्ताव की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य/राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है, जैसे उक्त खसरा नम्बर की सैटलमेंट पूर्व और बाद की जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल जिससे यह साबित हो कि खसरा नम्बर 277, 278 और 322 में सैटलमेंट से पूर्व कितनी आराजी दर्ज रिकार्ड थी और बाद सैटलमेंट 2038–2057 भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर की आराजी के क्षेत्रफल में वृद्धि की गई है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में तहसीलदार बारां की रिपोर्ट विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं मानी जा सकती। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपील के इस स्तर पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना विधिक रूप से उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/02/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. महेश चन्द पुत्र ज्ञानचंद, जाति महाजन
2. दिनेश चन्द पुत्र ज्ञानचंद, जाति महाजन
3. मनोज चन्द पुत्र ज्ञानचंद, जाति महाजन
4. राकेश चन्द पुत्र ज्ञानचंद, जाति महाजन

जाति महाजन, निवासी ग्राम कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां
2. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ, जाति मेहर, निवासी दौलतपुरा, तहसील व जिला बारां
3. प्रभूलाल पुत्र मांगीलाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां राजस्थान
4. माफी मन्दिर चाकरी खेलभराई समस्त ग्रामवासियान निवासी दौलतपुरा, ग्राम पंचायत सचिव, इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील नं **2022/87**
मु.द.नं0 **ए 026/2013/दावा**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **12.05.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **22 माह 01 सन् 2025**

श्री **ओम भारद्वाज** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **पैरोकार सरकार** उपस्थित, **शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **18 माह 02 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)